भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2850
मंगलवार, 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी

2850. श्री जय प्रकाशः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र में देश में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना तैयार करने की पहल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख): देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने और विकेन्द्रीकृत वैज्ञानिक अन्न भंडारण अवसंरचना के निर्माण के लिए सरकार ने दिनांक 31 मई, 2023 को "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदित किया है जिसका शुभारंभ एक पायलट परियोजना के रूप में किया गया है । इस योजना में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई), कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) जैसी भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से पैक्स/अन्य सहकारी समितियों के स्तर पर गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण शामिल है । पायलट परियोजना के अधीन 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ।

अब तक, देश भर में 120 पैक्स (पायलट चरण I-11, राजस्थान - 90, महाराष्ट्र - 15, गुजरात - 4) में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे कुल भंडारण क्षमता 72,702 मीट्रिक टन हो गई है ।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) और राज्य भांडागारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) जैसी एजेंसियों ने अपनी भंडारण आवश्यकता के अनुसार देश भर में 378 जिलों/स्थानों की पहचान की है और संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे पैक्स और अन्य सहकारी समितियों में आगे और भूमि की पहचान करें ।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) इस योजना के अधीन पैक्स/अन्य सहकारी समितियों के गोदामों को 9 वर्षों के लिए एक एकरूप किराया आश्वासन प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। इसमें निम्नलिखित प्रगति हुई है:

- चरण-I में, भारतीय खाद्य निगम ने 2500 मीट्रिक टन और उससे अधिक (पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1671 मीट्रिक टन और उससे अधिक) के गोदामों को किराए पर लेने के लिए 216 संभावित स्थानों की पहचान की है;

- भारतीय खाद्य निगम द्वारा 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 216 संभावित स्थानों पर लगभग 26.03 लाख मीट्रिक टन भंडारण की आवश्यकता का आकलन किया गया है ।

इस योजना की कार्यान्वयन क्षमता और व्यापकता में वृद्धि के लिए इसे पैक्स से आगे विस्तारित करके सभी सहकारी समितियों, सहकारी परिसंघों और बहुराज्य सहकारी समितियों को शामिल किया गया है।

****